न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 30/2023
GCMS NO. : 2023/74

–: प्रार्थीगण :–

1. जोगाराम पुत्र उमाराम
2. रूपाराम पुत्र गीगाराम
3. मालाराम पुत्र उदाराम
4. रावतराम पुत्र उमाराम
5. कानाराम पुत्र उमाराम
6. भीकाराम पुत्र पन्नाराम
7. रतनाराम पुत्र उदाराम
8. नारायणराम पुत्र उमाराम

जातियान सीरवी निवासीगण आगेवा तहसील जैतारण, ब्यावर, राजस्थान।

बनाम

–: अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार जैतारण, जिला– ब्यावर, राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 22/02/2023

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री तहसीलदार जैतारण, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 30/05/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है कि याचिकदाता व उतरदाता की कृषि भूमि सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा मे प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 18.1704 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित पर एक मात्र मालिकाना हक प्रार्थीगण का है तथा प्रार्थीगण ही उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबनदी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि मे जाने के लिये खसरा नम्बर 329/1, 332/1 व 334/1 किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि में आते जाते है अर्थात उपरोक्त वर्णित आराजी जो कि राजस्व रेकर्ड में जो कि गै0मु0 रास्ते के रूप मे इन्द्राज है और जिसका उपयोग प्रार्थीगण के साथ साथ अन्य आस पास के खेतो एवं कुऐ वाले लोग आने जाने के रूप में उपयोग उपभोग करते है। खसरा नम्बर 329/1 से आगे प्रार्थीगण की भूमि मे जाने हेतू खसरा नम्बर 328 जो कि गै0मु0 रास्ते की भूमि है उक्त भूमि से भी प्रार्थीगण अपनी भूमि मे आते जाते है नकल जमाबन्दी की उपरोक्त खसरा नम्बरान् की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थीगण की भूमि से लगायत खसरा नम्बर 329/1 के बीच खसरा नम्बर 328 गै0मु0 रास्ते का भू भाग है जो वर्तमान मे रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर भी खुला हुआ

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

और आवागमन हेतू सुचारू है परन्तु खसरा नम्बर 329/1, 332/1, 334/1 उपरोक्त ०मु० रास्ते की भूमियां रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर नहीं है अर्थात मौके पर उक्त रास्ते की भूमि का कभी नापचौप नहीं हुआ इसलिए केवल पगडण्डी के रूप मे मौके पर उपयोग में आ रही है जबकि उक्त गै0मु0 रास्ते की भूमि रिकॉर्ड मे इन्द्राज है और रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर चौडाई नहीं है जबकि उक्त रास्ते की भूमि गांव से खेतों में जाने के लिये प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के लिये सबसे निकटतम् रास्ता है। परन्तु सीमाज्ञान नहीं होने से उक्त रास्ता जगह जगह पर लोगों ने कांटे डालकर संकड़ा कर दिया और गैरकानूनी तरीके से अतिक्रमण कर लिया जिस कारण से उक्त रास्ता रिक०र्ड के अनुसार मौके पर नहीं है इसलिए उपरोक्त वर्णित गै0मु0 रास्ते के भू-भाग का सीमाज्ञान किया जावे जिससे कि रेकर्ड के अनुसार मौके पर रास्ते की सीमा निर्धारित हो जावे जिससे आमजन के आवागमन मे कोई बाधा नही हो। इसलिए यह प्रार्थनापत्र बाबत् सीमाज्ञान का विरूद्ध अप्रार्थी के पेश है। खसरा नम्बर 329/1, 332/1, 334/1 गै0मु0 रास्ता जो राजस्व रेकर्ड मे जरूर इन्द्राज है परन्तु मौके पर सीमाज्ञान के अभाव मे व्यवस्थित व सुचारू नहीं है इस कारण से कई बार राज्य सरकार की योजना के अनुसार मौके पर सडक पर जो मुरड डालने या अन्य नरेगा के तहत रास्ते की साफ सफाई करने मे दिक्कत आती है जबकि प्रार्थीगण व अन्य लोगो ने कई बार ग्राम पंचायत से भी इस रास्ते को दुरूस्त करने का निवेदन किया परन्तु ग्राम पंचायत ने यह कहकर मना कर दिया कि रास्ते का सीमाज्ञान नही हो रखा है इसलिए उस पर किसी तरह की कोई नरेगा श्रमिक लगाकर दुरूस्त नही किया जा सकता है तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से भी निवेदन किया परन्तु आज दिन तक उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड अनुसार सीमाज्ञान नही हुआ इसलिए उक्त रास्ते का रिकॉर्ड के अनुसार सीमाज्ञान किया जावे जिससे प्रार्थीगण व अन्य लोगो को आवागमन में दिक्कत नहीं हो और भविष्य मे सीमाज्ञान हो जाने से उक्त रास्ता बंद न हो। इस हेतु यह प्रार्थीगण की और से यह प्रार्थनापत्र पेश है। प्रार्थीगण ने दिनांक 02/02/2023 को राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त कर अप्रार्थी को उक्त रास्ते का नापचौप कर सीमाज्ञान करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया तब प्रार्थीगण के पास न्यायालय के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थनापत्र में वर्णित उपरोक्त गै0मु0 रास्ते की भूमि का ग्राम आगेवा के कई काश्तकार एवं मजदूर वर्ग के लोग उपयोग में ले रहे है परन्तु मौके पर सीमाान नही होने से कई बार लोग अने वाहन लेकर इस रास्ते से निकल नही पाते है और जो दुसरे अन्य रास्ते है उनकी दुरी बहुत ज्यादा है इसलिए उपरोक्त वर्णित गै0मु0 रास्ते का राजस्व टीम गठित कर मौके पर रेकर्ड के अनुसार सीमाज्ञान करवाया जावे जिससे प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारो को आने जाने मे कोई दिक्कत नहीं हो और सीमाज्ञान होने से राज्य सरकार की रास्ता दुरूस्त बाबत् जो योजना है उसका फायदा मिल सके। इस हेतु यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस वास्ते जवाब के तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा संख्या 298 रकबा 18.1704 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण का ही मालीकाना हक है। इस खसरे में प्रार्थी सं. 1,4,5 तथा 8 अन्य खातेदारान् के साथ सहखातेदार दर्ज है शेष

प्रार्थीगण इस खसरे में सहखातेदार दर्ज रेकर्ड नहीं है। प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा सं. 329/1, 332/1 तथा 334/1 की किश्म रास्ता दर्ज हैं। जिसमें से खसरा सं. 332/1 में रूपा पुत्र गीगाराम (प्रार्थी संख्या 2) अन्य खातेदारों के साथ सहखातेदार दर्ज शेष प्रार्थीगण इन खसरों में खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। खसरा सं. 328 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज जमाबन्दी है, रास्ता मौके पर चालु हैं। खसरा सं. 329/1, 332/1, 334/1 की भी किश्म तो गैरमुमकिन रास्ता है परन्तु ये अन्य खातेदारान की खाते की भूमियां है। जिनको पक्षकार संस्थित नहीं किया गया है। वर्णित खसरान 329/1, 332/1,334/1कि भूमियां खातेदारान् की हैं जिनके हक प्रभावित होते हैं पक्षकार नहीं बनाये गये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा सं. 329/1, 332/1, 324/1 की भूमियां अन्य खातेदारान की है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है. जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार आवश्यक है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा मे प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 18.1704 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम की दर्ज है। प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजी में जाने के लिये खसरा नम्बर 329/1, 332/1 व 334/1 किस्म जो गै0मु0 रास्ता की भूमि है का उपयोग करना पडता है, जो कि राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में इन्द्राज है।
2. खसरा नम्बर 329/1 से आगे प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतू खसरा नम्बर 328 जो कि गै0मु0 रास्ते की भूमि है, उक्त भूमि से भी प्रार्थीगण अपनी भूमि में आते जाते हैं।
3. खसरा नम्बर 329/1, 332/1, 334/1 गै0मु0 रास्ते की भूमियों का मौके पर नापचौप नहीं हो रखा है, इसलिए केवल पगडण्डी के रूप मे मौके पर उपयोग में आ रही है जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त गै0मु0रास्ते का नापचौप करने की इस्तदुआं की है।
4. अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार खसरा संख्या 298 रकबा 18.1704 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण का ही मालीकाना हक है। इस खसरे में प्रार्थी सं. 1,4,5 तथा 8 अन्य खातेदारान् के साथ सहखातेदार दर्ज है शेष प्रार्थीगण इस खसरे में सहखातेदार दर्ज रेकर्ड नहीं है। प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा सं. 329/1, 332/1 तथा 334/1 की किस्म रास्ता दर्ज हैं। जिसमें से खसरा सं. 332/1 में रूपा पुत्र गीगाराम (प्रार्थी संख्या 2) अन्य खातेदारों के साथ सहखातेदार दर्ज शेष प्रार्थीगण इन खसरों में खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। खसरा सं. 328 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज जमाबन्दी है, रास्ता मौके पर चालु हैं।

चूंकि उपरोक्त वर्णित विवेचन अनुसार उभयपक्ष के मध्य वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

खसरा नम्बर 298 रकबा 18.1704 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम दर्ज है, उक्त खसरा में जाने के लिए वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 329/1, 332/1 व 334/1 किस्म गै0मु0 रास्ते का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा मौके पर नाप-चौप करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 18.1704 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम है, उक्त खसरा में जाने के लिए वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 329/1, 332/1 व 334/1 किस्म गै0मु0 रास्ते का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू-नक्शे मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 30/05/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)